

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604| No. 604| नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2012/अग्रहायण 6, 1934

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2012/AGRAHAYANA 6, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 850(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उनका संबंध प्रकाशन सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में प्रकाशन सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, प्रकाशन सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन वैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन वैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता,---वह व्यक्ति,---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति,—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	
			और ग्रेड	अचयन पद	के लिए आयु-सीमा	वाले व्यक्तियों के
	,		वेतन या		n english and a second	लिए अपेक्षित शैक्षिक
			वेतनमान			और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रकाशन	02*	साधारण	वेतन बैंड-2	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक :
सहायक	(2012)	केन्द्रीय सेवा,	(9300-		(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर	
	` '	समूह 'ख'	34800ক.)		जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के	1
		अराजपत्रित	+ ग्रेड वेतन		अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में 5	
		अननुसचिवीय	4200ক		वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	I F
	* कार्यभार			<u> </u> 	टिप्पण : आयुसीमा अवधारित करने	2. किसी सरकारी या
•	के आधार			ŀ	के लिए निर्णायक तारीख वह होगी	अर्द्ध सरकारी संगठन
	पर परिवर्तन			ľ	जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा	या तत्समय प्रवृत्त
	किया जा				विज्ञापित की जाए ।	किसी विधि के अधीन
	सकता है ।					मान्यताप्राप्त या
						र्राज़स्ट्रीकृत किसी
•						निजी संगठन में प्रूफ
						रीडिंग सहित प्रकाशन
				,		कार्य का दो वर्ष का
						अनुभव ।
					·	वांछनीय : हिन्दी
						विषय के साथ
						मेट्रीकुलेशन ।

	T		r			
				·		टिप्पण 1 : अर्हताएं,
	l i					अन्यथा सुअर्हित
						अभ्यर्थियों के मामले
						में कर्मचारी चयन
						आयोग के
						विवेकानुसार, ऐसे
		•				कारणों से जो लेखबद्ध
1						किए जाएंगे, शिथिल
						की जा सकती है।
		,				का जा सकता है।
						टिप्पण 2 : अनुभव
						संबधी अर्हता(अर्हताएं)
						कर्मचारी चयन आयोग
		_			·	के विवेकानुसार
, '						अनुसूचित जातियों
						और अनुसूचित
	-					जनजातियों के
	.					अभ्यर्थियों की दशा में
						तब शिथिल की जा
		ļ				सकती हैं जब चयन
						के किसी प्रक्रम पर
						संघ लोक सेवा
						आथोग की यह राय है
						कि उनके लिए
						आरक्षित रिक्तियों को
<u> </u>	<u> </u>	 				जासनात । सावताया का

					· ·	 भरने के लिए अपेक्षित
ſ						मर्ग पर रिष्ट्र अनेपाल ।
		1	'	·		अनुभव रखने वाले 📗
ļ		,			·	उन समुदायों के
						उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त
						संख्या में उपलब्ध होने
	·	18				की सम्भावना नहीं
	·-		•			है ।
,					1	
						·
				L	<u> </u>	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । (8) नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । (9) दो वर्ष	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10) प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रितिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनर प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।	से यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
(11) प्रोन्नित : वेतन बैंड -1 के 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2800रु. में छह वर्ष की नियमित सेवा सिहत ज्येष्ठ प्रूफ रीडर जिसके न हो सकने फज्येष्ठ प्रूफ रीडर (वेतन बैंड -1 के 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2800रु.) और प्रूफ रीडर (वेतन बैंड -1 के 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2400रु.) की श्रेणी में नियमित आधार पर 10 वर्ष की सम्मिलित सेवा जिसमें से कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रूफ रीडर की श्रेणी में हो ।	र समिति (पुष्टि करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	किया जाएगा । (13) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर	- सदस्य ; 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य । समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति	

ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के विज्ञान सर्वेक्षण प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस 2. कार्यालय प्रमुख, तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है,आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -

- (i) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2800 रु. के वेतनमान या समतुल्य में उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2400रु. के वेतनमान या समतुल्य में उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और

- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति - अध्यक्ष : भारतीय सर्वेक्षण वनस्पति विज्ञान - सदस्य ;
- 3. कार्यालय प्रमुख, प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ।

(iv) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. 01/24/2011-सीएसबी]

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2012

G.S.R. 850(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Group C) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Publication Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Publication Assistant in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Publication Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualification. No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	
1	2	3	pay or pay scale.	or non-selection post.
Publication Assistant.	2* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.		Selection.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	Q	
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)	Essential: (i) Graduate from a recognised University with Botany as one of the subjects. (ii) Two years' experience of publication work including proof reading in a Government or Semi Government organisation or a private organisation recognised or registered under any law for the time being in force. Desirable: Matriculation with Hindi as a	No.	Two years.	By promotion failing, which by deputation, failing both by direct recruitment.

Note: The crucial date for determining the age limit	1 ,			ē
	Note 1: Qualifications are relaxable			
the Staff Selection				
Commission.	Selection Commission, for reasons			
}	to be recorded in writing, in the			
	case of candidates otherwise well			.
100	qualified.			
	Note 2: The qualification(s))
	regarding experience is/are		•	
	relaxable at the discretion of the			
	Staff Selection Commission, for	·		
1	reasons to be recorded in writing,			
·	in the case of candidates belonging			
	to the Scheduled Castes or the			[[유
·	Scheduled Tribes, if at any stage of		·	
	selection, the Staff Selection			
	Commission is of the opinion that			
	sufficient number of candidates			
	from these communities			
	possessing the requisite experience			· 8
	are not likely to be available to fill		•	₽
	up the vacancies reserved for them.			EXTRAORDINARY

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Senior Proof Reader with six years' regular service in pay band-1 of Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2800 failing which ten years' combined service in the grade of Senior Proof Reader (Pay Band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2800 and Proof Reader (Pay Band-1 Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2400) on regular basis out of which at least three years' regular service in the grade of Senior Proof Reader. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director,	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

Deputation:

Officers of the Central Government,-

- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with six years' regular service in the grade in posts in pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or

Department; or

- (iii) with ten years' regular service in the posts in pay band-1 of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (iv) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationist will not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a

regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

[F. No. 01/24/2011-CSB]

B.M.S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)